10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(144)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

निगरानी क्र.

(1123)

PBR/निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2017/2408

(1) कल्लू बेग पिता श्री नियामत बेग
(2) जफर बेग पिता श्री नियामत बेग
(3) युसुफ बेग पिता श्री नियामत बेग
(4) ईसा बेग पिता श्री नियामत बेग
सभी निवासी– ग्राम तुर्कीपुरा, तहसील पचौर,
जिला राजगढ (म.प्र.)

.... निगरानीकर्तागण

अभिभावक श्री अखिलेश तिवारी
द्वारा आज दिनांक 24/7/17
को पेश। 24.7.17
अधीक्षक

विरूद्ध

किरायत खां पिता सईद खां
पता– ग्राम तुर्कीपुरा, तहसील पचौर,
जिला राजगढ (म.प्र.)

.... गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1960

यह निगरानी, श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील टप्पा तलेन, जिला राजगढ (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 5/अ–70/16–17 आदेश पत्रिका दिनांक 19.06.17 से असंतुष्ट एवं परिवेदित होकर यह निगरानी ठोस तथ्यों एवं आधारों पर जानकारी दिनांक एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति दिनांक 05.07.2017 से समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निग0 / राजगढ़ / भू.रा. / 2017/2408 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 19.6.2017 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति पर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदकगण की आपत्ति पर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	